20.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी का मूल वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं
रहने पर इसी स्तर पर खारिज किया जा
चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने
के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

20/11/25
(प्रिया बंजारा)
RAS.